This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**बुधवार, 04 सितम्बर, 2019 / 13 भाद्रपद, 1941**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

शुद्धि–पत्र

शिमला–2, 31 अगस्त, 2019

**संख्या ए0 ए0(3)–5 / 2015**.––इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई, 2017 जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग–III के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित हुई है कि नियम–7(1)(i) ''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या दुध प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा या जैव रसायन या सूक्षम

विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या चिकित्सा विज्ञान उपाधि; या'' **के स्थान पर** निम्नलिखित **पढ़ा जाये** :–

''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या दूध प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तले प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या चिकित्सा विज्ञान में उपाधि; या''।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)।

---

## सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2019

**संख्या आई0 पी0 एच0–ए–ए(3)–2 / 2016**.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0 पी0 एच0–ए–ए(3)–2 / 2016, तारीख 19–06–2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, **सहायक रसायनज्ञ, वर्ग–III** (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ, वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध–''क'' का संशोधन.**––(1) हिमाचल प्रदेश सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ, वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध–'क' में, –

(क) स्तम्भ सख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"वर्ग–III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय वृत्त स्तर का संवर्ग।"।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

"अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा / समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है / हैं जो आपात्काल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे / जिन्हें डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे / जिन्हें एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।"।

(ग) स्तम्भ सख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।"।

(घ) स्तम्भ संख्या 15–क (III) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।"।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15–क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"संविदा पर नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। "।

(च) स्तम्भ संख्या 15–क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।"।

3. **उपाबन्ध–ख का संशोधन**.––(1) उक्त नियमों के उपाबन्ध–"ख" को "परिशिष्ट–II" के रूप में पढ़ा जाएगा।

(2) उपाबन्ध–"ख" के क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। "।

आदेश द्वारा,

डा0 आर0 एन0 बत्ता,
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

————————

**परिशिष्ट–I**

| | | |
|---|---|---|
| | **लिखित परीक्षा** | |
| 1. | (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)। | 85 अंक |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:–<br>(i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता = 2.5 अंक<br>[शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( 50 x 0.025 ) अनुज्ञात किए जाएंग]।<br>(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बधित = 01 अंक<br>(iii) भूमिहीन कुटुम्ब / एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा = 01 अंक<br>(iv) इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी सेवा में नहीं है = 01 अंक | 15 अंक |

| | | |
|---|---|---|
| | (v) 40 प्रतिशत विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन = 01 अंक<br><br>(vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण–पत्र धारक / भारत स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता = 01 अंक<br><br>(vii) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी.पी.एल. कुटुम्ब = 2 अंक<br><br>(viii) विधवा / तलाक शुदा / अकिंचन / एकल महिला = 01 अंक<br><br>(ix) इकलौती पुत्री / अनाथ = 01 अंक<br><br>(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि के प्रशिक्षण = 01 अंक<br><br>(xi) सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक | |

[*Authoritative English text of H. P. Govt. Notification No. IPH-A-A(3)-2/2016, dated 29-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

## IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla*-171002, *the* 29*th August*, 2019

**No. IPH-A-A(3)-2/2016**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, **Assistant Chemist, Class-III** (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified *vide* this Department notification number No. IPH-A-A(3)-2/2016, dated 19-06-2017, namely:—

**1. Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Assistant Chemist, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of the publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-"A"**.—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Assistant Chemist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017;

(a) *For the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely*:—

"Class-III (Non Gazetted) (Non-Ministerial) Circle Level Cadre.".

(b) *"For the existing provision against Column No. 11, the following Explanation shall be substituted, namely*:—

"The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-serviceman who have joined Armed forces during the period of emergency and recruited under the provision of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.".

(c) *For the existing provision against Column No. 15, the following shall be substituted, namely*:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, *etc.* of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority, as the case may be.".

(d) *For the existing provision against Column No. 15-A (III), the following shall be substituted, namely*:—

"The Superintending Engineer will be the Appointing/Disciplinary Authority.".

(e) *For the existing provision against Column No. 15-A (IV), the following shall be substituted, namely*:—

"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus, *etc*. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e*. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.".

(f) *For the existing provision against Column No. 15-A (VII) (c), the following shall be substituted, namely*:—

"The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted

maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC *etc*. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

**3. Amendment of Annexure-"B"**.—(1) The Annexure-"B" of the said rules shall be read as "Appendix-II"

(2) *For the existing provision against S. No. 4 of Annexure-"B", the following shall be substituted, namely***:—**

"The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC *etc*. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.".

By order,

DR. R. N. BATTA,
*Secretary (IPH).*

---

APPENDIX-I

| | | |
|---|---|---|
| | **WRITTEN TEST** | |
| 1. | (Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks). | 85 marks |
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:—<br><br>(i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules = 2.5 Marks<br><br>[Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% | 15 marks |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)]. | |
| | (ii) | Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be = 01 Mark | |
| | (iii) | Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority = 01 Mark | |
| | (iv) | Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service =01 Mark | |
| | (v) | Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity =01 Mark | |
| | (vi) | NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions = 01 Mark | |
| | (vii) | BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time = 02 Marks | |
| | (viii) | Widow/divorced/destitute/single woman = 01 Mark | |
| | (ix) | Single daughter/orphan = 01 Mark | |
| | (x) | Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution = 01 Mark | |
| | (xi) | Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) = 2.5 Marks | |

## नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 20 जुलाई, 2019

**संख्या टी0सी0पी0–ए(2)–2 / 2016.**––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–ए(2)–1 / 2001 तारीख 05–03–2002 द्वारा निदेशक, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश को निर्यात प्रोत्साहत औद्योगिक पार्क (ई0पी0आई0पी0) फेज–I बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की बाबत प्रत्यायोजित शक्तियों को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहृत करते हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं की पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 39–क, 39–ख, 39–ग, 79, 81 और 83–क के अधीन निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश की शक्तियां अब बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विशेष क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों, जो हिमाचल प्रदेश राज्य

औद्योगिक विकास निगम (एच0पी0एस0आई0सी0) हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) और जिला औद्योगिक केन्द्र (डी0आई0सी0) सोलन की अधिकारिता के भीतर आते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बी0बी0एन0डी0ए0) द्वारा प्रयुक्त की जाएगी, तथापि, ऐसी शक्तियां, नगरपालिका परिषद् नालागढ़ और नगरपालिका परिषद् बद्दी की बाबत, तुरन्त प्रभाव से प्रयोक्तव्य नहीं होंगी।

आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (नगर और ग्राम योजना)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A(2)- 2/2016 dated 20-07-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 20*th July,* 2019

**No.TCP-A(2)-2/2016.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw with immediate effect, the powers delegated, *vide* this Department Notification No. TCP-A(2)-1/2001 dated 05-03-2002, to the Director, Industries Department, Himachal Pradesh with respect to the Export Promotion Industrial Park (EPIP) Phase-I at Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Further, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 77 of the Act *ibid*, is pleased to order that the powers of the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh under sections 16, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 79, 81 and 83-A of the Act *ibid* shall now be exercised by the Chief Executive Officer, Baddi-Barotiwala-Nalagarh Development Authority (BBNDA), in the areas falling in the Baddi-Barotiwala-Nalagarh Special Area which are under the jurisdiction of the Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC), Himachal Pradesh, the Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) and the District Industries Centre (DIC) Solan. Such powers, however, shall not be exercisable in respect of Municipal Council, Nalagarh and Municipal Council, Baddi, with immediate effect.

By order,

PRABODH SAXENA,
*Principal Secretary (TCP).*

———————

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2019

**संख्या टी0सी0पी0–एफ0(5)–1/2017.—**अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–एफ0(5)–1/2017 तारीख 27 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचना मण्डी योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में संशोधनों के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के

नियम 11 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2018 को राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में नोटिस संख्याः हिम / टी.पी. / पी.जे.टी. / ए.जैड.आर.–मण्डी / 2013 / वॉल– I I / 7732–52, तारीख 13–11–2018 द्वारा आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर, निदेशक को केवल दो आक्षेप / सुझाव प्राप्त हुए जिन पर उन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया और जहां अपेक्षित था, उपान्तरण किए गए और उक्त विकास योजना में संशोधनों के प्रारूप को सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिना किसी उपान्तरण के मण्डी योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्:––

अमैण्डमैण्टस इन चैप्टर–19

चैप्टर–19, titled Zoning and Sub-Division Regulations of Development Plan for Mandi Development Planning Area, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते है:-

1. 19.4.7. Agriculture zone and water bodies zone निम्न प्रकार से रखे जाएंगे:—

**"(a) PERMITTED USES.**—Residential/group housing, agriculture, horticulture, dairy, poultry farms, stables for animals rearing and breeding, processing and sale of farm produce, petrol and other fuel filling stations, school, libraries, religious buildings, public utility buildings, etc.

**(b) RESTRICTED USES THAT MAY BE PERMITTED ON SPECIAL GROUNDS BY DIRECTOR:** Quarrying of gravel, sand, clay or stone, lime kilns, brick kilns, show room workshops for servicing and repair of farm machinery and service stations on fixed tenure basis, cold storage, godowns for food, seeds, fertilizer, agriculture/horticulture equipments, tourist accommodation, transit visitor's camps on non-permanent basis, bus/taxi stand and parking places etc.

**(*a*) PROHIBITED USES.**—All other uses not specifically permitted herein. The Regulations as applicable to the particular proposed use would normally apply to permitted uses under clause (a) and (b) above."

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) में यथा अपेक्षित के अनुसार उपरोक्त संशोधनों को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किय जाता है। एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि पुनरीक्षित / संशोधित विकास योजना की प्रति कार्यालय अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला
2. नगर और ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, मण्डी
3. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् सुन्दरनगर, जिला मण्डी

उक्त विकास योजना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F(5)-1/2017, dated 29-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 29*th August,* 2019

**No.TCP-F(5)-1/2017.—**WHEREAS, the draft amendments in the Development Plan for Mandi Planning Area, notified *vide* Notification No. TCP-F(5)-9/2004 dated 27th December, 2004 were published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 *vide* Notice No. HIM/TP/PJT/AZR-Mandi/2013/Vol-II/7732-52 dated 13-11-2018, in the official Gazette (e-Gazette) Himachal Pradesh on 17th November, 2018 for inviting objection(s) and suggestion(s).

AND WHEREAS, only two objections/suggestions were received by the Director, within the stipulated period, which were duly considered by him and modifications were made where required and the draft amendments in the said Development Plan were submitted to the Government for approval.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for Mandi Planning Area, without modifications, namely:—

**Amendments in Chapter-19**

In Chapter-19, titled Zoning and Sub-Division Regulations of Development Plan for Mandi Development Planning Area, following amendments are carried out:—

1. 19.4.7. Agriculture zone and water bodies zone shall be substituted, as under:—

**"(a) PERMITTED USES.—**Residential/group housing, agriculture, horticulture, dairy, poultry farms, stables for animals rearing and breeding, processing and sale of farm produce, petrol and other fuel filling stations, school, libraries, religious buildings, public utility buildings, etc.

**(b) RESTRICTED USES THAT MAY BE PERMITTED ON SPECIAL GROUNDS BY DIRECTOR.—**Quarrying of gravel, sand, clay or stone, lime kilns, brick kilns, show room workshops for servicing and repair of farm machinery and service stations on fixed tenure basis, cold storage, godowns for food, seeds, fertilizer, agriculture/horticulture equipments, tourist accommodation, transit visitor's camps on non-permanent basis, bus/taxi stand and parking places etc.

**(b) PROHIBITED USES.**—All other uses not specifically permitted herein. The Regulations as applicable to the particular proposed use would normally apply to permitted uses under clause (a) and (b) above.

The above amendments are hereby published in the official Gazette, (e-Gazette), Himachal Pradesh as required under sub-section(4) of section 20 of the Act *ibid*. A Notice is

hereby given that a copy of revised/amended Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, H.P., Shimla

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning office, Mandi

3. Executive Officer, Municipal Council, Mandi, Distt. Mandi

The said amended Development Plan shall come into operation from the date of publication in the official Gazette, Himachal Pradesh.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
*Principal Secretary (TCP).*

---

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2019

**संख्या टी0सी0पी0–एफ0(5)–11/2017.**––अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–एफ0(5)–11/2017 तारीख 27 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचना सुन्दरनगर योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप संशोधनों को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 11 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 17 नवम्बर, 2018 को राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में नोटिस संख्या हिम/टी0पी0/पी0जे0टी0/ए0जैडआर0–सुन्दरनगर/2018/वॉल–I/7637–58, तारीख 13–11–2018 द्वारा आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर, निदेशक नगर एवं ग्राम योजना हिमाचल प्रदेश को इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए और उक्त विकास योजना में प्रारूप संशोधनों को सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुन्दरनगर योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में बिना किसी उपान्तरण के निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्:––

अमैण्डमैण्ट्स इन चैप्टर–13

चैप्टर–13, titled Zoning and Sub-Division Regulations of Development Plan for Sundernager Development Planning Area, में निम्नलिखित संशोधन कार्यान्वित किए जाते हैं :–

"1. Regulation 6 of 13.15 Sub-Division of Land Regulation निम्न प्रकार से रखा जाएगा:–

"Any yard or plot existing at the time of coming into force of these Regulations shall not be reduced in dimension or size below the minimum requirement set forth herein. The yards or plots created after the effective date of these Regulations shall meet at least the minimum requirements established by these Regulations. All the plots registered prior to coming into

force of these Regulations shall be treated as plots irrespective of their shape and size subject to the condition that 3.00 Metre wide road abutting one side of the plot will be the basic requirement."

2. 13.17.8 PRIMARY ACTIVITY/AGRICULTURE USE ZONE (PA) निम्न प्रकार से रखा जाएगा.–

"Primary Activity can be sub divided into :

1. Agriculture: PA 1

2. Plantation: PA 2

3. Forestland/ Govt. Land: PA 3

The activities Permitted, Restricted and Prohibited in Primary Activity zone shall be as given below:

**(a) Activities Permitted**
Residential/group housing, agriculture, horticulture, dairy, poultry farms, stables for animals rearing and breeding, processing and sale of farm produce, petrol and other fuel filling stations, school, libraries, religious buildings, public utility buildings etc.

**(b) Activities Restricted–That may be permitted on special grounds by Director**
Quarrying of gravel, sand, clay or stone, lime kilns, brick kilns, show room workshops for servicing and repair of farm machinery and service stations on fixed tenure basis, cold storage, godowns for food, seeds, fertilizer, agriculture/horticulture equipments, tourist accommodation, transit visitor's camps on non-permanent basis, bus/taxi stand and parking places etc.

**(c) Activities Prohibited**

All other uses not specifically used under clause (a) and (b) above."

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) में यथा अपेक्षित के अनुसार उपरोक्त संशोधनों को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद् द्वारा प्रकाशित किय जाता है। एतद् द्वारा, सूचित किया जाता है कि पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना की प्रति कार्यालय अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :––

1. निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला

2. योजना अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय सुन्दरनगर, जिला मण्डी

3. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् सुन्दरनगर, जिला, मण्डी

उक्त विकास योजना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F(5)-11/2017, dated 29-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 29*th August,* 2019

**No.TCP-F(5)-11/2017.—**WHEREAS, the Draft Amendments in the Development Plan for **Sundernagar Planning Area,** notified *vide* Notification No. TCP-F(5)-11/2017 dated 27th January, 2018 were published by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977) read with rule 11 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 *vide* Notice No. HIM/TP/PJT/AZR-Sundernagar/2018/ Vol- I/7637-58 dated 13-11-2018, in the Official Gazette (e-Gazette) on 17th November, 2018 for inviting objection(s) and suggestion(s);

AND WHEREAS, no objection/suggestion was received by the Director, Town and Country Planning H.P. in this regard within the stipulated period and the draft amendments in the said Development Plan were submitted to the Government for approval;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for Sundernagar Planning Area, without modifications, namely:—

**Amendments in Chapter-13**

In Chapter-13, titled Zoning and Sub-Division Regulations of Development Plan for Sundernagar Development Planning Area, following amendments are carried out:—

"1. Regulation 6 of 13.15 Sub-Division of Land Regulations shall be substituted, as under:—

"Any yard or plot existing at the time of coming into force of these Regulations shall not be reduced in dimension or size below the minimum requirement set forth herein. The yards or plots created after the effective date of these Regulations shall meet atleast the minimum requirements established by these Regulations. All the plots registered prior to coming into force of these Regulations shall be treated as plots irrespective of their shape and size subject to the condition that 3.00 Metre wide road abutting one side of the plot will be the basic requirement."

2. 13.17.8 PRIMARY ACTIVITY/AGRICULTURE USE ZONE (PA) shall be substituted as under.—

" Primary Activity can be sub divided into

1. Agriculture: PA 1
2. Plantation: PA 2
3. Forestland/ Govt. Land: PA 3

The activities Permitted, Restricted and Prohibited in Primary Activity zone shall be as given below:

**(*a*) Activities Permitted**

Residential/group housing, agriculture, horticulture, dairy, poultry farms, stables for animals rearing and breeding, processing and sale of farm produce, petrol and other fuel filling stations, school, libraries, religious buildings, public utility buildings etc.

**(*b*) Activities Restricted–That may be permitted on special grounds by Director**

Quarrying of gravel, sand, clay or stone, lime kilns, brick kilns, show room workshops for servicing and repair of farm machinery and service stations on fixed tenure basis, cold storage, godowns for food, seeds, fertilizer, agriculture/horticulture equipments, tourist accommodation, transit visitor's camps on non-permanent basis, bus/taxi stand and parking places etc.

**(*c*) Activities Prohibited**

All other uses not specifically used under clause (a) and (b) above."

The above amendments are hereby published in the Official Gazette(e-Gazette), Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of section 20 of the Act *ibid*. A notice is hereby given that a copy of the revised/amended Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town & Country Planning Department, H.P., Shimla

2. The Planning Officer, Town Planning Office Sundernagar, District. Mandi

3. The Executive Office, Municipal Council, Sundernagar, Distt. Mandi

The said Development Plan shall come into operation from the date of publication in the official Gazette, Himachal Pradesh.

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
*Principal Secretary (TCP).*

---

## नगर एवं ग्राम योजना विभाग

आदेश

शिमला–2, 22 जुलाई, 2019

**संख्याः टी0सी0पी0–ए–(3)1 / 2016.**––भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 20 की उपधारा (1) उपबन्ध करती है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए भू–संपदा विनियामक, प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी;

और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) का तृतीय परन्तुक उपबन्ध करता है कि समुचित सरकार आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने तक, किसी विनियामक प्राधिकरण या किसी अधिकारी, अधिमानतः अवास सम्बद्ध विभाग के सचिव, को इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिए विनियामक प्राधिकारी के रूप में अभिहित करेगी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस धारा के अधीन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने तक भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकारी के रूप में अभिहित करते है।

आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-A(3)-1/2016 Shimla, dated 22-07-2019 As Required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India]*

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

ORDER

*Shimla*-2, *the* 22*nd July,* 2019

**No.TCP-A(3)-1/2016.**—Whereas, sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) provides that appropriate Government shall, by notification, establish an Authority to be known as the Real Estate Regulatory Authority to exercise the powers, conferred on it and to perform the functions assigned to it under the said Act;

And Whereas, third proviso to sub-section (1) of Section 20 of the Act *ibid.* provides that until the establishment of a Regulatory Authority under this section, the appropriate Government shall, by order, designate any regulatory Authority or any officer preferably the Secretary of the department dealing with Housing, as the Regulatory Authority for the purposes under this Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Act *ibid.* the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to designate the Addl. Chief Secretary (Housing) to the Government of Himachal Pradesh as Real Estate Regulatory Authority, until the establishment of a Regulatory Authority under this section for carrying out the purposes under the said Act.

By order,
PRABODH SAXENA,
*Principal Secretary(TCP).*

———————

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग**

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2019

**संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–2 / 2018.**––प्रारुप हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 को हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12)

की धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षानुसार एतदद्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 02–01–2019 द्वारा राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 15–01–2019 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर, राज्य सरकार को इस निमित्त आक्षेप / सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है;

और 2018 के नियमों में संशोधनों के सम्बध में आक्षपे / सुझाव आमंत्रित किए गए थे, किन्तु मामले में अन्तर्वलित किसी अत्यावश्यकता के कारण, सरकार द्वारा केवल हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम, 2014 के नियम 35 में ही संशोधनों को अधिसूचित करने का विनिश्चिय किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–ए(3)–1 / 2014–1, तारीख 01–12–2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 01–12–2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम.**––इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 है।

**2. नियम 35 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 35 में, उप नियम (3) के क्रम संख्या 2 और 3 पर प्रशमन फीस की निम्नलिखित नई दरें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

| क्रम संख्या | अपराध | प्रशमन फीस |
|---|---|---|
| 1. | उन भवनों की दशा में, जहा ं प्लान अनुमोदित नहीं थे, किन्तु सन्निर्माण हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम, संख्यांक 12) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 और अन्तरिम विकास योजना या विकास योजना के विनियमों के अनुसार किया गया है। | इस प्रकार सन्निर्मित संरचना के इन नियमों के नियम 16 के उपनियम (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट और लागू फीस के चार गुणा बराबर की प्रशमन फीस के संदाय पर विनियमित किया जाएगा। |
| 2. | उन भवनों की दशा में, जहां प्लान अनुमोदित नहीं था और नियमों तथा विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट धरातल मंजिल और समस्त पश्चात्वर्ती मंजिलों के किसी या समस्त सैट–बैक में दस प्रतिशत के विस्तार तक की अनुज्ञय सीमा से अधिक का विचलन किया गया है। | इस प्रकार सन्निर्मित संरचना के इन नियमों के नियम 16 के उपनियम (2) के अधीन यथाविर्निदिष्ट और लागू फीस के छः गुणा के बराबर की प्रशमन फीस के संदाय पर विनियमत किया जाएगा। |

आदेश द्वारा,
कमलेश कुमार पंत,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

———

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-A(3)-2/2018 dated 29-08-2019 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of india*].

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 29*th August,* 2019

**No. TCP-A(3)-2/2018.—**Whereas, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Fourth Amendment) Rules, 2019 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on

15-01-2019, *vide* this department notification of even number dated 02-01-2019, for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to affected thereby, as required under sub-section (1) of Section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977);

AND whereas, no objection/suggestion was received by the Director, Town and Country Planning H.P. in this regard within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered;

And whereas, the objections/suggestions were invited in respect of amendments in rule of 2018, but due to some urgency involve in the matter, it has been decided by the government to notify amendments only in rule 35 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified *vide* this Department Notification No. TCPA( 3)-1/2014-I dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 1-12-2014, namely:—

**1. Short title.—**These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Fourth Amendment ) Rules, 2019.

**2. Amendments new of rule 35.—**In rule 35 of the said rules, at serial number 2 and 3 of sub-rule (3), the following rates of Composition fee shall be substituted, namely:—

| Sl. No. | Offence | Composition Fee |
|---|---|---|
| 1. | In case of building where plan was not approved but construction carried out is as per the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 and Regulations of Interim Development Plan or Development Plan. | The structure so constructed shall be regularized on payment of composition fee equal to 4 times of fee as specified and applicable under sub-rule (2) of rule 16 of these rules. |
| 2. | In case of building where plan was not approved and deviations have also been carried out beyond the permissible limits as specified under rules and Regulations to the extent of 10% over any or all the set backs on ground floor and all the subsequent floors. | The structure so constructed shall be regularized on payment of composition fee equal to the 6 times of fee as specified and applicable under sub-rule (2) of rule 16 of these rules. |

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
*Principal Secretary (TCP).*

**ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप–तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0**

मिसल नं0 : 71/N.T./DWR/Reader/2019 तारीख दायरा : 06-08-2019 तारीख पेशी : 12-09-2019

पप्पू पुत्र मानकू, निवासी गांव चलथरा, डाकघर मैहला, उप–तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी पप्पू पुत्र मानकू, निवासी गांव चलथरा, डाकघर मैहला, उप–तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय हल्फी बयान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम पप्पू है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल चड़ी में नील गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नील उर्फ पप्पू पुत्र मानकू, निवासी गांव चलथरा, डाकघर मैहला के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12–09–2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
उप–तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

––––––––––

**ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

श्री किशन चन्द पुत्र श्री प्रीतू, निवासी गांव कहणा, डाकघर मदाना, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.––राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री किशन चन्द पुत्र श्री प्रीतु, निवासी गांव कहणा, डाकघर मदाना, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र सहित पेश किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत शांघड़ के परिवार रजिस्टर भाग–I में किशन चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में इसका नाम निमत राम पुत्र श्री प्रीतू दर्ज है। अतः इसे दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21–09–2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज न होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व विभाग में इसका नाम निमत राम उर्फ किशन चन्द दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 21–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

———————

**ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

श्री सोहन सिंह पुत्र बुध राम, निवासी गांव व डाकघर सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.––राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री सोहन सिंह पुत्र बुध राम, निवासी गांव व डाकघर सैंज, उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रैला के परिवार रजिस्टर भाग–I में सोहन सिंह दर्ज है जो कि गलत है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 21–09–2019 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला में इसका नाम सोहन सिंह उर्फ गिरी राज दर्ज करने के आदेश पारित किए जांएगे।

आज दिनांक 21–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज,
उप–तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

———————

**ब अदालत जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : 10 तारीख मजरूआ : 20–08–2019 तारीख पेशी : 20–09–2019

श्री नथू राम वर्मा पुत्र स्व0 श्री नरैण सिंह, निवासी गांव फनैहल, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्री नथू राम वर्मा पुत्र स्व0 श्री नरैण सिंह, निवासी गांव फनैहल, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम नथू राम वर्मा है जबकि राजस्व अभिलेख महाल फनैहल में उसका नाम नथू राम दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल फनैहल में दुरूस्ती की जाकर उसका नाम नथू राम उर्फ नथू राम वर्मा दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20–09–2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन–पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20 अगस्त, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

————————

**ब अदालत जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : 11 तारीख मजरूआ : 20–08–2019 तारीख पेशी : 20–09–2019

श्री नथू राम वर्मा पुत्र स्व0 श्री नरैण सिंह, निवासी गांव फनैहल, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्री नथू राम वर्मा पुत्र स्व0 श्री नरैण सिंह, निवासी गांव फनैहल, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके स्व0 पिता का वास्तविक नाम नरैण सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख महाल फनैहल में

उसका नाम नरायण सिंह दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल फनैहल में दुरूस्ती की जाकर उनका नाम नरायण सिंह उर्फ नरैण सिंह दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20–09–2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन–पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20 अगस्त, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

————————

**समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : 23/2019 तारीख मजरूआ : 05–07–2019 आगामी पेशी : 27–09–2019

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती।

श्री गीता राम पुत्र श्री हरी राम, निवासी चडोग, डाकघर रकोल, तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थी श्री गीता राम पुत्र श्री हरी राम, निवासी चडोग, डाकघर रकोल, तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कुम्हारू के महाल किंदर में सीता राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम गीता राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके सीता राम उर्फ गीता राम किया जाए। आवेदन–पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27–09–2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**समक्ष देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : 25 / 2019 तारीख मजरूआ : 05–07–2019 आगामी पेशी : 27–09–2019

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती।

श्री लोक नाथ पुत्र श्री परस राम, निवासी जैंढी, डाकघर पौड़ाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थी श्री लोक नाथ पुत्र श्री परस राम, निवासी जैंढी, डाकघर पौड़ाकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पौड़ाकाठी के महाल सिन्घु में लोक राज दर्ज है, जबकि उसका सही नाम लोक नाथ है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके लोक राज उर्फ लोक नाथ किया जाए। आवेदन–पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27–09–2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रुप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत श्री दिनेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार, उप–तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

जालम सिंह पुत्र भूप सिंह, निवासी पन्जाह, डाकघर व ग्राम पंचायत बढ़ोल, उप–तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

जालम सिंह पुत्र भूप सिंह, निवासी पन्जाह, डाकघर व ग्राम पंचायत बढ़ोल, उप–तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनकी देवती (Grand Daughter) सन्जना कुमारी पुत्री रमन कपूर की जन्म तिथि 05–01–1999 गलती से ग्राम पंचायत बढ़ोल में दर्ज करने से छूट गई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो इस प्रकाशन के 15 दिनों के बाद असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर उजर–एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज दिनांक 20–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। दिनेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

**समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

बमुकद्दमा :

श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री बुध राम, निवासी ग्राम जैयन्चा मझाई, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दुरूस्ती नाम।

श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री बुध राम, निवासी ग्राम जैयन्चा मझाई, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिन का नाम राजस्व रिकार्ड, जैयन्चा मझाई में चीड़ी दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थिन का नाम आधार कार्ड, परिवार नकल में सुनीता देवी है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिन ने अपने आवेदन के साथ नकल जमाबन्दी इन्तकाल की कापी, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड जैयन्चा मझाई में अपना नाम सुनीता देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जैयन्चा मझाई हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22–09–2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22–08–2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राजेश कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

**Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

| Case No. | Date of Institution | Date of Decision |
|---|---|---|
| 12/2019 | 19-8-2019 | Pending for 19-09-2019 |

Smt. Rashmi Devi w/o Shri Uma Dutt, r/o Village Kotla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . .*Applicant.*

*Versus*

General Public . .*Respondent.*

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Rashmi Devi w/o Shri Uma Dutt, r/o Village Kotla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Smt. Tara Devi d/o Sh. Uma Dutt birth on 21-05-1969 at Village Kotla, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Hurang, Tehsil kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Hurang, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death record.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Tara Devi d/o Sh. Uma Dutt may submit their objections in writing in this court on or before 19-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of August, 2019.

Seal. Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),*
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

**Before Shri Som Kapil Tomar, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

| Case No. | Date of Institution | Date of Decision |
|---|---|---|
| 11/2019 | 19-8-2019 | Pending for 19-09-2019 |

Miss Sunita Devi d/o Shri Mani Ram, r/o Village Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . .*Applicant.*

*Versus*

General Public . .*Respondent.*

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Miss Sunita Devi d/o Shri Mani Ram, r/o Village Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth &

Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her (namely Miss Sunita Devi d/o Shri Mani Ram) birth on 02-02-1994 at Village Kanda, P.O. Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Hurang, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Hurang, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth & death record.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Miss Sunita Devi d/o Shri Mani Ram may submit their objections in writing in this court on or before 19-09-2019 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 19th day of August, 2019.

Seal. Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),*
*Kasauli, District Solan (H. P.).*

---

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171 004, 4 सितम्बर, 2019

**संख्या वि0स0–विधायन–प्रा0 / 1–1 / 2018.**––राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :––

**''मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के षष्टम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।**

**कलराज मिश्र,**
**राज्यपाल,**
**हिमाचल प्रदेश।''**

आदेश द्वारा :––

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

---

## HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

*Shimla*–171 004, *the* 4*th September*, 2019

**No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2018.—**The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 4th September, 2019 is hereby published for general information:—

"मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के षष्टम् सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूं।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।"

By order:–

YASH PAUL SHARMA,
*Secretary,*
*H.P. Vidhan Sabha*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है